


कॉन्सिडर डिस्मिड करी जावे हमने वादी  
के अधिकार की अदालत सुनी गयी वाले निर्णय

हेतु दिनांक 4.12.2019 को बेशर्हो

  
उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर (पत्नी)

4/12  
2019

पत्रावली पेश हुई

वकील वादी उपर

हमने पत्रावली का एक वादी वकील की

अदालत का मत किया P/D पालना

अनुसार कॉन्सिडर डिस्मिड किया जाता

न्यायोचित समझते हैं

वैतः प्राथमिकी डिस्मिड अनुसार कॉन्सिडर


डिस्मिड करी है। क्विन्टन निर्णय एक डिस्मिड

पुस्तक के लिखा जाकर शा. लिखे। पालना

तदनुसार रायपुर को प्रति भेजा गया

पत्रावली प्रेषण शुरू होकर 500 नम्बर

के काम है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर (पत्नी)

